FIVE RUPEES TEN RUPEES

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2005 निगरानी – R-557-I/2005

1- श्यामलाल

2- अमर सिंह

3- रामस्वरूप

4- मनोराम पुत्रगण मनकाराम कुशवाहा

निवासी कस्वा करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूद्ध

1- योगेन्द्र कुमार पुत्र केशरीचन्द वैश्य,

निवासी करैरा

2- प्रकाशचन्द

3- बच्चनलाल पुत्रगण बाबूलाल वैश्य,

निवासी राजेश्वरी रोड, शिवपुरी, म0प्र0

4- श्रीमती ममता शर्मा पत्नी विनोद शर्मा

5- श्रीमती कमलादेवी पत्नी सूबेदार सिंह जाटव

6- खुशीलाल पुत्र हल्के राम धोबी, सभी निवासी न्यू कालौनी करैरा जिला शिवपुरी, म0प्र0

7- तेहसीलदार, करैरा

8- अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) करैरा जिला शिवपुरी

----- अनावेदकगण

-2

श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव अभि0 द्वारा दिनांक 26/4/05 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मंडल, म0प्र0

O.P. Shrivastava 26.4.05

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 वनाराजगी आदेश दिनांक 19.04.2005 द्वारा श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 13/04-05 अपील में पारित किया गया ।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

पुनरीक्षण के तथ्य -

1- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कस्वा करैरा स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1530/2 तथा 1757/1 का बटांकन किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2003 को अनावेदक क्रमांक 7 के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पर तेहसीलदार करैरा ने प्रकरण (क्रमांक 56/02-03/अ-3) पंजीबद्ध किया ।

2- यहकि, यह स्वीकृत तथ्य होते हुए भी कि सर्वे क्रमांक 1530 तथा 1757 आवेदकगण व अनावेदक क्रमांक 1 की शामिल शरीक भूमि रही है, तथा उपरोक्त भूमि के बटवारा प्रकरण में आवेदकगण आवश्यक पक्षकार रहे हैं, तथा कानूनी वटवारे के फलस्वरूप आवेदकगण क्रमशः 1530/1 व 1757/2 प्राप्त हुआ है, तथा अनावेदक क्रमांक 1 को 1530/2 तथा 1757/1 प्राप्त हुआ ।

3- यहकि, इसी प्रकार बटांकन प्रकरण मे भी आवेदकगण सामिल शरीक खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार का स्टेटस रखते थे परंतु आवेदकगण को जानबूझकर ना तो अनावेदक क्र

R551-I/05 शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-9-15	आवेदक पूर्व विदित 21-8-14, 18-11-14, एवं 7-9-15 से अनुपस्थित है। आज आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2005 से लंबित है। आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। इसलिए परिस्थिति में प्रकरण रुचि न होने के कारण समाप्त किया जाता है। अभिलेख न्यायालय को रिकार्ड में वापिस किया जावे। प्र० दा० रि० हो आदेश	